

फर्द अहकाम

बनाम

दिनांक का कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठ के मजबूत कानून के अन्तर्गत पत्रावली पूर्वानुसार जारी तारीख/दिनांक दिनांक 19/11/24 को पेश है।</p>	
19/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। नसीबखाने के कुर्तबख्त खोहरे पेश की। जिनके 211 जिले जिला जिला मज/ 8-0-61. मजबूत कानून के अन्तर्गत दोस्त पत्रावली मजबूत कानून के अन्तर्गत दिनांक 03/11/24 को पेश है।</p>	
03/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उज्जय पत्रावली अन्तर्गत पेश है दिनांक 03/11/24 को पेश है।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी उज्जययनगढ़</p>
09/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी क वादी मजबूत। वकील वादी क वादी का बाल बाल मातापिता मातापिता की वकील उज्जययन जिला मजबूत। लेकिन उज्जययन की पत्रावली को मजबूत जिला मजबूत। पत्रावली को मजबूत हाथों क मजबूत पेश है। वकील की पेश है पत्रावली के अन्तर्गत</p>	

फर्द आहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>शुभ्राट देवरा गजराट के फर्द होतकर वाड प्रति डाडिक इतर के</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>

न्यायालय

मुकदमा नं० 43/

पूरण

यह मुकदमा
 आर.ए.एस. व हा
 बहाजीरी पेश हे
 जाकर तहसीलद
 तहसील जमवार
 बिस्वा के संबध
 रखते हुए मुता
 विधिक रूप से
 किया जाता है
 उनकी मौजूदगी
 तैयार कर पेश
 डिक्री आज

मिल
मुदई
स्टाम्प वकालत
स्टाम्प वजूह स
महन्ताना वकील
खर्चा गवहान
बबतहजराय हु
मुत
मिलान

डिक्री मुकदमा इबलाई (रूल्स 18-21)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0
बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नं0 43/2012

दायर दिनांक 24/02/2012

पूरण

बनाम

श्रीकृष्ण रैगर वगैराह

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम)

प्राथमिक डिक्री आदेश


दिनांक 08.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री रमाशंकर शर्मा अधिवक्ता वादीगण निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुबम दिया जाता है कि, वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1350 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा के संबंध में उभय पक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से मध्य नजर रखते हुए मुताबिक बाई मीटस एण्ड बाउण्डसे अर्थात् संरस-नरस के आधार पर विधिक रूप से तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में अलग-अलग रंग भरकर कुरेजात के प्रस्ताव तीन-तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

डिक्री आज दिनांक 08/08/2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
जिला जयपुर
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदई	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		


उपखण्ड अधिकारी
जिला जयपुर
जमवारामगढ, जयपुर